

17/5/25

वकील अपीलॉट उपर वकील रेस्पॉन्ड उपर  
वकील अपीलॉट ने प्रार्थना पत्र पेश कर  
निवेदन किया कि वह उक्त अपील  
को आगे चलाना नहीं चाहते हैं। अतः  
अपील जरिये विज्ञापन जरिये खारिज  
फरमावे। अधिवक्ता अपीलॉट के निवेदन  
पर उक्त अपील जरिये विज्ञापन  
खारिज की जाती है। पत्रावली क्रम  
सुमार होउर नम्बर से उम होउर  
दाखिल दफ्तर है।

राजस्व अपील प्राधिकारी  
पाली

Vijay Kumar  
Chaudhary